



2026:AHC:17147

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 45375 सन् 2025

धर्मा देवी

..... याचिककर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिककर्ता(गण) के अधिवक्ता: संजय कुमार राय

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. आज जब यह विषय सुनवाई के लिए लिया गया, तो याची के विद्वान अधिवक्ता ने अत्यंत उचित रूप से तर्क दिया कि परवर्ती घटनाक्रम के कारण वर्तमान याचिका अब निष्प्रभावी हो गई है तथा वर्तमान याचिका को निष्फल हो जाने के आधार पर खारिज किए जाने की प्रार्थना की।
2. उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत, वर्तमान याचिका निष्प्रभावी हो जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

22 जनवरी, 2026

साकलेन